



## प्रेस नोट

दिनांक 22.10.2024

### थाना मुस्करा पुलिस द्वारा विस्फोटक/अतिशवाजी के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु व विस्फोटक (अतिशवाजी) की बरामदगी के अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.10.2024 को थाना मुस्करा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त राजेन्द्र गुप्ता पुत्र स्वामी प्रसाद (उम्र करीब 40 वर्ष) निवासी राठ रोड कस्बा व थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर को विस्फोटक (अतिशवाजी) के साथ राठ रोड कस्बा मुस्करा से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से माल विस्फोटक (फुलझडी/मेहताव/विभिन्न प्रकार छोटे बड़े पटाखा) कुल 35.615 किलोग्राम बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना मुस्करा में मु0अ0सं0 233/2024 धारा 5/9B विस्फोटक अधिनियम 1884 थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

राजेन्द्र गुप्ता पुत्र स्वामी प्रसाद उम्र करीब 40 वर्ष निवासी राठ रोड कस्बा व थाना –मुस्करा जनपद हमीरपुर  
बरामदगी-

विस्फोटक अतिशवाजी (–फुलझडी/मेहताव/विभिन्न प्रकार छोटे बड़े पटाखा) कुल 35.615 किलोग्राम बरामद होना  
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 शिवम पाण्डेय
- 2.उ0नि0 मानवेन्द्र सिंह
- 3.का0 प्रदीप कुमार शर्मा

